२५५

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
"आदेश"

संख्या–12/चक0मु0(चालक)–2/2013 ________/चक0, पटना, दिनांक ____________/

समादेश याचिका संख्या 7558/2013 (चन्देश्वर राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध सरकार की ओर सेएल0पी0ए0 संख्या 1575/2016 (बिहार सरकार एवं अन्य बनाम चन्देश्वर राय) दायर किया गया था। साथ ही साथ समादेश याचिका संख्या 7558/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन ससमय नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता श्री चन्देश्वर राय द्वारा अवमानना वाद संख्या 2293/2016 दायर किया गया।

सरकार की ओर से दायर एल0पी0ए0 संख्या 1575/2016 (बिहार सरकार एवं अन्य बनाम चन्देश्वर राय) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के उपरांत अवमानना वाद में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या 7558/2013 (चन्देश्वर राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में ए0सी0पी0 स्वीकृति संबंधी कार्रवाई करने को निदेशित किया गया है।

माननीय न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त की गई। जिसमें विधि विभाग द्वारा भी समादेश याचिका संख्या 7558/2013 (चन्देश्वर राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को बाध्यता बतायी गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में चकबंदी निदेशालय स्तर पर गठित प्रोन्नति–सह–स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 06.03.2018 को आयोजित बैठक में श्री चन्देश्वर राय, चालक, चकबंदी निदेशालय, पटना को ए0सी0पी0 की स्वीकृति देने के बिन्दु पर अनुशंसा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रोन्नति–सह–स्क्रीनिंग समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री राय को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 लाभ दिये जाने के प्रस्ताव का अनुशंसा किया गया है। दिनांक 06.03.2018 को प्रोन्नति–सह–स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्न सूचनाओं के आधार पर स्तंभ (5), (6) एवं (7) में अंकित तिथि से अंकित वेतनमान में क्रमशः 12, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा उपरांत प्रथम ए0सी0पी0 एवं द्वितीय, तृतीय एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	नाम/पदनाम	पदस्थापित कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	देय ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 की तिथि एवं वेतनमान			अभ्युक्ति
				प्रथम (ACP)	द्वितीय (MACP)	तृतीय (MACP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री चन्देश्वर राय, चालक	चकबंदी निदेशालय, पटना	01.07.87	09.08.99 4000–6000	(01.01.09) 4500–7000 5200–20200 ग्रेड पे–2800	(01.07.17) 5200–20200 4200 मैट्रिक्स लेवल–6	

(2) किसी भी समय यह पाया जायेगा कि वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी।

(3) सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ मात्र उच्चतर वेतनमान/उच्चतर ग्रेड–पे तक ही सीमित है। यह कोई नियमित प्रोन्नति नहीं है। कर्मियों की पारस्परिक वरीयता प्रभावित नहीं होगी।

(4) प्रस्ताव पर निदेशक, चकबंदी का आदेश प्राप्त है।

ह0/–
(नवल किशोर)
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)।

E:\Amit Kumar Srivastava\ranjan jee\office order.doc

ज्ञापांक 318 /चक0, पटना, दिनांक 03.04.2018/
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/लेखा शाखा, चकबंदी निदेशालय, पटना/स्थापना प्रभारी पदाधिकारी, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना/श्री चन्देश्वर राय, चालक, चकबंदी निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/18

(नवल किशोर)
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)।

E:\Amit Kumar Srivastava\ranjan jee\office order.doc